(1)

227

कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA 20 रु. Rs.20 बीस रुपये TWENTY RUPEES

कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA 10 रु. Rs.10 दस रुपये TEN RUPEES

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर कैंप जबलपुर

पुनरीक्षण प्रकरण कमांक /2015 जिला जबलपुर

R-669-I-17

श्री प्यारेलाल गौंड उम्र 52 वर्ष
पिता श्री धन सिंह गौंड
निवासी 79 वार्ड नं. 15 ग्राम संकुही खुख्कम तह.
कुण्डम जिला जबलपुर
—— आवेदक

विरूद्ध –

1. मेसर्स खमेर प्लांटेशन प्रा.लि. द्वारा
डायरेक्टर श्री जतिन दरयानी पिता
श्री सत्यपाल दरियानी (गैर आदिवासी)
पता–म.नं. 46, ए.पी. आर कॉलोनी,
कटंगा, तह. व जिला
जबलपुर

2. म.प्र.शासन द्वारा कलेक्टर जबलपुर
—— अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959

माननीय न्यायालय कलेक्टर जबलपुर के प्रकरण क्र. 13/अ–21/2015–16 में पारित **आदेश दि. 17–10–16**) से व्यथित होकर धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) के तहत यह निगरानी निम्न आधारों पर प्रस्तुत की जा रही है :–

1. यह कि आवेदक अपीलकर्ता आदिवासी श्री प्यारेलाल गौंड उम्र 52 वर्ष पिता श्री धन सिंह गौंड जाति गौड (आदिवासी) निवासी–79, वार्ड नं. 15 ग्राम संकुही आवेदक के नाम से जमीन ग्राम देहरीकला प.ह.नं. 6, नया 12, रा.नि.मं. इमलई तह. कुण्डम जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 505 रकवा 2.240 हेक्टेयर, खसरा नं. 488/1 रकवा 1.380,

(2)

<u>प्यारेलाल गौंड विरूद्ध मे. खमेर प्लांटेशन आदि</u>

X[illegible]XIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - निगरानी 669-एक/17 जिला - जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
[illegible]-17	प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी कलेक्टर, जबलपुर के प्रकरण क्रमांक 13/अ-21/15-16 में पारित आदेश दिनांक 17-10-16 एवं 6-2-17 के विरूद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है । 2- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता एवं शासकीय अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । यह प्रकरण भूमि विक्रय की अनुमति से संबंधित है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में दिनांक 17-10-16 को आगामी तिथि दिनांक 30-1-17 नियत की गई है । इसके उपरांत आवेदक की अनुपस्थिति के कारण दिनांक 6-2-17 को प्रकरण आवेदक की अनुपस्थिति के कारण अदम पैरवी में निरस्त किया गया है । आवेदक द्वारा बताए गए आधारों को देखते हुए न्यायहित में यह उचित पाया जाता है कि प्रकरण का निराकरण तकनीकि आधार पर न करते हुए गुणदोष पर किया जाये । अतः इस प्रकरण का निराकरण गुणदोष पर किया जा रहा है । 3- प्रकरण के गुणदोषों के संबंध में आवेदक की ओर से प्रस्तुत अधीनस्थ न्यायालय की आदेश पत्रिकाओं एवं अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया गया, जिनके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि यह प्रकरण आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत भूमि विक्रय के आवेदन पर प्रारंभ हुआ है, जिसमें आवेदक द्वारा ग्राम देहरीकला प.ह.नं.	

निग0प्र0क्र0 669-एक/17

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों/अभिभाषकों के हस्ताक्षर
	6 नया 12, रा.नि.मं. इमलई तहसील कुण्डम जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 505 रकबा 1.240 हैक्टर, खसरा नं. 488/1 रकबा 1.380 हैक्टर एवं खसरा नं. 477 रकबा 1.420 हैक्टर को प्रत्यर्थी क्रमांक-1/गैर आदिम जनजाति के सदस्य को विक्रय किए जाने की अनुमति देने का अनुरोध किया गया है । आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों खसरा इत्यादि के अवलोकन से स्पष्ट है कि विक्रय हेतु आवेदित प्रश्नाधीन भूमियां अपीलार्थी की स्वअर्जित भूमियां है जो उसके द्वारा पंजीकृत विक्रयपत्र से क्रय की गई हैं । उक्त भूमियां शासन से प्राप्त भूमियां नहीं है । प्रस्तुत दस्तावेजों से यह भी स्पष्ट है कि अपीलार्थी के पास विक्रय हेतु आवेदित प्रश्नाधीन भूमियों के अतिरिक्त विभिन्न ग्रामों में 4.112 हैक्टर भूमि शेष बच रही है जो आवेदक एवं उसके परिवार के सदस्यों के जीवन यापन के लिए पर्याप्त है । अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा यह भी कहा गया है कि क्रेता उसे वर्तमान गाइड लाइन से अधिक मूल्य देने को तैयार हैं । अंतरण में आवेदक के साथ कोई छल कपट नहीं हो रहा है और ना ही आवेदित भूमि के विक्रय से आवेदक के आर्थिक हितों पर कोई विपरीत प्रभाव पड़ेगा । चूंकि आवेदक आदिम जनजाति का सदस्य है, इस कारण उसके द्वारा भूमि विक्रय की अनुमति मांगी गई है । अतः प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार के पश्चात यह पाया जाता है कि आवेदक को उसके भूमिस्वामी स्वत्व की प्रश्नाधीन भूमियों को विक्रय करने की अनुमति दिए जाने में किसी प्रकार की वैधानिक अड़चन प्रतीत नहीं होती है । उपरोक्त विवेचना के आधार पर जिलाध्यक्ष, जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 6-2-17 निरस्त किया जाता है तथा यह निगरानी स्वीकार करते हुए आवेदक को ग्राम देहरीकलां प.ह.नं. 6 नया	

(5)

प्यारेलाल गौंड विरूद्ध मे. खमेर प्लांटेशन आदि

XXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक – निगरानी 669 -एक/17 जिला – जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	नया 12, रा.नि.मं. इमलई तहसील कुण्डम जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 505 रकबा 1.240 हैक्टर, खसरा नं. 488/1 रकबा 1.380 हैक्टर एवं खसरा नं. 477 रकबा 1.420 हैक्टर को प्रत्यर्थी क्रमांक-1/गैर आदिम जनजाति के सदस्य को सदस्य को विक्रय करने की अनुमति निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है :- 1- यदि प्रस्तावित क्रेता वर्तमान वर्ष की गाइड लाइन की दर से भूमि का मूल्य देने को तैयार हो । 2- क्रेता द्वारा विक्रय प्रतिफल की राशि (पूर्व में अनुबंध के समय दी गई अग्रिम राशि को कम करके) आवेदक के खाते में जमा की जायेगी । पक्षकार सूचित हों । (एम0के0 सिंह) सदस्य, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर	